


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 26 जून, 2008

क्रमांक:एफ 1-55/2008/1/38 :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.06.2008 द्वारा डॉ० रमेश जैन, स्नातक प्राचार्य हरसूद का शासकीय कन्या पी०जी० महाविद्यालय खण्डवा एवं डॉ० के०जी० कल्ला, प्राचार्य शासकीय कन्या पी०जी० महाविद्यालय खण्डवा का शासकीय महाविद्यालय हरसूद स्थानांतरण किया गया था। मान० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.06.08 के पालन में डॉ० कल्ला द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार करते हुए डॉ० कल्ला एवं डॉ० जैन का पारस्परिक स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें पूर्ववत् स्थान पर ही पदस्थ किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वीणा तैलंग)
उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Khadi Pur 26/6/08

पृ०क०एफ 1-55/2008/1/38
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26 जून, 2008

1. मान.मंत्री जी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक ।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
 3. शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर ।
 4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर/उज्जैन संभाग ।
 5. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
 6. डॉ० के०जी० कल्ला, प्राचार्य, शासकीय कन्या पी०जी० महाविद्यालय, खण्डवा की ओर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल शासकीय कन्या पी०जी० महाविद्यालय, खण्डवा में कार्यभार ग्रहण कर तत्काल शासन को सूचित करें ।
 7. डॉ० रमेश जैन, प्राचार्य, द्वारा प्राचार्य, शासकीय कन्या पी०जी० महाविद्यालय, खण्डवा की ओर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल शासकीय महाविद्यालय, हरसूद में कार्यभार ग्रहण कर तत्काल शासन को सूचित करें ।
 8. कोषालय अधिकारी, खण्डवा/हरसूद ।
 9. गार्ड फाईल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

Khadi Pur 26/6/08